क्रम संख्या–112 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2022 ई0

पौष 02, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 361/XXXVI (3)/2022/70(1)/2022

देहरादून, 23 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) (संशोधन) विधेयक, 2022'** पर दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 17, वर्ष– 2022** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 17, वर्ष 2022)

उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) अधिनियम, 2013 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर है।
(3)यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 4 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:–

(ड) मुख्य कार्यपालक अधिकारी– सदस्य सचिव

धारा 5 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित कर दिये जाएगें, अर्थात्:–

(क) राज्य सरकार, किसी समुचित व्यक्ति को प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जो निकाय के समस्त कृत्यों का इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्वहन करेगा।

(ख) निकाय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी निकाय के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा और निकाय द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय कार्य का सम्पादन करेगा तथा निकाय द्वारा निर्धारित समस्त वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा।

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

कारण एवं उद्देश्य

उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) अधिनियम, 2013 में राज्य सरकार द्वारा किसी समुचित व्यक्ति को प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने का उपबन्ध है तथा जिसकी शक्तियों तथा कर्तव्यों को विहित किया जाना भी समीचीन है।

2. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

सतपाल महाराज
मंत्री।